A052-20222023-003-1578590

संख्या-19/2022/466/बावन-1-2022-18(पी0एम0जे0वी0के0)/20

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,

लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 20 जुलाई, 2022

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 21वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 06.12.2019 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जे0पी0 नगर, बागपत, बलरामपुर, बिजनौर, बदायूं, मेरठ एवं मुरादाबाद जनपदों में 380 स्वीकृत स्मार्ट क्लास हेतु केन्द्रांश की द्वितीय किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1115/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/ स्मार्ट क्लास-आई0टी0आई0-303/2022 दिनांक 16.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयांकित परियोजनाओं की शासन स्तर से द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-13/86/2019-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0एस0 दिनांक 30.12.2019 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-31/2020/175/52-1-2020-18(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 17.03.2020 द्वारा

उक्त योजना के निर्माण हेतु **आई0टी0आई0 लि0** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0-एम0एस0डी0पी-13/86/2019-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 04.01.2022 द्वारा विभिन्न जनपदों के विभिन्न विकास खण्डों में स्वीकृत 380 स्मार्ट क्लास के लिए कुल अनुमोदित केन्द्रांश 579.12 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 173.736 लाख (रू0 एक करोड़ तिहत्तर लाख तिहत्तर हजार छः सौ मात्र) एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि रू0 115.824 लाख (रू0 एक करोड़ पन्द्रह लाख बयासी हजार चार सौ मात्र) **अर्थात कुल धनराशि रू0 289.56 लाख (रू0 दो करोड़ नवासी लाख छप्पन हजार मात्र)** योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखा शीर्षक-**2235-02-800-01-0105** में प्राविधानित बजट रू0 3600.00 लाख तथा संगत राज्यांश के **लेखाशीर्षक-2235-02-800-89-8905** में प्राविधानित बजट रू0 2400.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(केन्द्रांश-60/राज्यांश-40) (रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के0+रा0)	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित द्वितीय किश्त		कुल प्रस्तावित धनराशि (के0+रा0)
									केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जे0पी0 नगर	वि0ख0 अमरोहा में स्मार्ट क्लास का निर्माण	8	2.54	12.192	8.128	20.32	6.096	3.6576	2.4384	6.096
		वि0ख0 गजरौला में स्मार्ट क्ला का निर्माण	4	2.54	6.096	4.064	10.16	3.048	1.8288	1.2192	3.048
		वि0ख0 हसनपुर में स्मार्ट क्लास का निर्माण	2	2.54	3.048	2.032	5.08	1.524	0.9144	0.6096	1.524
		वि0ख0 जोया में स्मार्ट क्लास का निर्माण	2	2.54	3.048	2.032	5.08	1.524	0.9144	0.6096	1.524
		वि0ख0 धनौरा में स्मार्ट क्लास का निर्माण	2	2.54	3.048	2.032	5.08	1.524	0.9144	0.6096	1.524
2	बागपत	वि0ख0 बड़ौत में स्मार्ट क्लास का निर्माण	8	2.54	12.192	8.128	20.32	6.096	3.6576	2.4384	6.096
		वि0ख0 छपरौली में स्मार्ट क्लास का निर्माण	22	2.54	33.528	22.352	55.88	16.764	10.0584	6.7056	16.764
3	बलराम पुर	वि0ख0 गैन्दास बुजुर्ग में स्मार्ट क्लास का निर्माण	4	2.54	6.096	4.064	10.16	3.048	1.8288	1.2192	3.048
		वि0ख0 गेसरी में स्मार्ट क्लास का निर्माण	16	2.54	24.384	16.256	40.64	12.192	7.3152	4.8768	12.192
		वि0ख0 इरईया सतधरवा में स्मार्ट क्लास का निर्माण	1	2.54	1.524	1.016	2.54	0.762	0.45720	0.3048	0.762
		वि0ख0 रेहरा बाजार में स्मार्ट	4	2.54	6.096	4.064	10.16	3.048	1.8288	1.2192	3.048

		क्लास का निर्माण									
		वि0ख0 तुलसीपुर में स्मार्ट क्लास का निर्माण	1	2.54	1.524	1.016	2.54	0.762	0.45720	0.3048	0.762
		वि0ख0 श्रीदत्तगंज में स्मार्ट क्लास का निर्माण	6	2.54	9.144	6.096	15.24	4.572	2.7432	1.8288	4.572
		वि0ख0 उतरौला में स्मार्ट क्लास का निर्माण	4	2.54	6.096	4.064	10.16	3.048	1.8288	1.2192	3.048
4	**बिजनौर**	वि0ख0 हलदौर में स्मार्ट क्लास का निर्माण	22	2.54	33.528	22.352	55.88	16.764	10.0584	6.7056	16.764
		वि0ख0 जालीपुर में स्मार्ट क्लास का निर्माण	20	2.54	30.48	20.32	50.8	15.24	9.144	6.096	15.24
		वि0ख0 कीरतपुर में स्मार्ट क्लास का निर्माण	34	2.54	51.816	34.544	86.36	25.908	15.5448	10.3632	25.908
		वि0ख0 कोतवाली में स्मार्ट क्लास का निर्माण	14	2.54	21.336	14.224	35.56	10.668	6.4008	4.2672	10.668
		वि0ख0 मोहम्मदपुर देवमल स्मार्ट क्लास का निर्माण	30	2.54	45.72	30.48	76.2	22.86	13.7160	9.1440	22.86
		वि0ख0 नजीबाबाद में स्मार्ट क्लास का निर्माण	6	2.54	9.144	6.096	15.24	4.572	2.7432	1.8288	4.572
		वि0ख0 नूरपुर में स्मार्ट क्लास का निर्माण	2	2.54	3.048	2.032	5.08	1.524	0.9144	0.6096	1.524
		वि0ख0 सीहरा में स्मार्ट क्लास का निर्माण	6	2.54	9.144	6.096	15.24	4.572	2.7432	1.8288	4.572
5	**बदायूँ**	वि0ख0 बदायूँ एन0पी0पी0 में स्मार्ट क्लास का निर्माण	6	2.54	9.144	6.096	15.24	4.572	2.7432	1.8288	4.572
		वि0ख0 देहगवां में स्मार्ट क्लास का निर्माण	12	2.54	18.288	12.192	30.48	9.144	5.4864	3.6576	9.144
		वि0ख0 ककरेला में स्मार्ट क्लास का निर्माण	2	2.54	3.048	2.032	5.08	1.524	0.9144	0.6096	1.524
		वि0ख0 सहावन में स्मार्ट क्लास का निर्माण	6	2.54	9.144	6.096	15.24	4.572	2.7432	1.8288	4.572
6	**मेरठ**	वि0ख0 परीक्षितगढ़ में स्मार्ट क्लास का निर्माण	4	2.54	6.096	4.064	10.16	3.048	1.8288	1.2192	3.048
7	**मुरादाबाद**	वि0ख0 भगतपुर टान्डा में स्मार्ट क्लास का निर्माण	2	2.54	3.048	2.032	5.08	1.524	0.9144	0.6096	1.524
		वि0ख0 बिलारी में स्मार्ट क्लास का निर्माण	10	2.54	15.240	10.16	25.4	7.62	4.572	3.048	7.62
		वि0ख0 छजलेट में स्मार्ट क्लास का निर्माण	24	2.54	36.576	24.384	60.96	18.288	10.9728	7.3152	18.288
		वि0ख0 कुन्दारी में स्मार्ट क्लास का निर्माण	38	2.54	57.912	38.608	96.52	28.956	17.3736	11.5824	28.956
		वि0ख0 मुरादाबाद में स्मार्ट क्लास का निर्माण	36	2.54	54.864	36.576	91.44	27.432	16.4592	10.9728	27.432
		वि0ख0 मुन्डापाण्डे	8	2.54	12.192	8.128	20.32	6.096	3.6576	2.4384	6.096

		में स्मार्ट क्लास का निर्माण									
		वि0ख0 डाकुरद्वार में स्मार्ट क्लास का निर्माण	14	2.54	21.336	14.224	35.56	10.668	6.4008	4.2672	10.668
योग			**380**	**86.36**	**579.12**	**386.08**	**965.2**	**289.56**	**173.736**	**115.824**	**289.56**

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा **उल्लिखित कार्यदायी संस्था आई0टी0आई0 लि0** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित अवधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(3)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है ।

(5)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

(6)- कार्य की विशिष्टयॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी तथा निर्माणकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(7)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की

हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग की जायेगी।

(8)- उपरोक्त तालिका के कॉलम-3 में उल्लिखित परियोजनाओं हेतु मांगी गयी एवं जारी की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(9)- **वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022, 30.12.2021, 22.03.2021, 20.01.2021, 09.12.2020, 29.09.2020, 11.04.2020 एवं 24.03.2020, के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(10)- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

(11)- कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

(12)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्त्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(13)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(14)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(15)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(16)- निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।।

(17)- निर्माण कार्य निर्विवादित भूमि पर ही किया जायेगा तथा निर्विवादित भूमि की उपलब्धता जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी विवादित स्थल पर निर्माण कार्य न किया जाय। सम्बन्धित परियोजना हेतु धनराशि जारीकरने से पूर्व परियोजना के लिए निंविवादित एवं उपयुक्त भूमि की उपलब्धता निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा सुनिश्चित की जायेगी यदि उपयुक्त/निर्विवादित भूमि पर परियोजना का निर्माण न होने की स्थिति में

धनराशि के निष्फल व्यय की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

(18)- उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ताकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक,अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा तथा प्रथम किश्त के कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त करने का दायित्व अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का होगा।

(19) अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(20) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(21) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

(22) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(23) योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से अच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(24) केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम सं0-1(13)PFMS/2022 दिनांक 20.05.2022 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- **"0105-तकनीकी माध्यमों से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार-(के0 60/रा0 40-के0+रा0)-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान" तथा** राज्यांश हेतु लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश- **"8905-तकनीकी माध्यमों से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार -16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान"** के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-**E-4-95-X-2022-23, दिनांक 14-07-2022** में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-466(1)/बावन-1-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत कार्य में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- निदेशक, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग, लखनऊ ।
9- प्रबन्ध निदेशक, **आई0टी0आई0 लि0** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
11- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।